न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 24 / 2024 / अपील / एलआरएक्ट / कोटा

दायरा दिनांकः 21.03.2024

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, कोटा

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री शंभूदयाल विजय अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 28.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के आदेश क्रमांक प.2( )राजस्व / 2022 / 4856 दिनांक 28.04.2022 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के आदेश क्रमांक प.2( )राजस्व / 2022 / 4856 दिनांक 28.04.2022 पारित किया गया कि न्यायालय संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 11.07.1997 एवं विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के संदर्भ में उल्लेखित समस्त भूमियों (रेफरेंस में सम्मिलित भूमियां व रेफरेंस शामिल होने से शेष रही भूमियां) के क्रम में विस्तृत जांच अपेक्षित होने के कारण पूर्व आदेश क्रमांक / 2014 / 3919 दिनांक 14.08.2014 की निरंतरता में आदेश दिए गए कि "व्यापक जनहित, राज्य सरकार के हित व उपर्युक्त विवेचन के आधार पर श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय दिनांक 11.07.1997 एवं विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के संदर्भ में उल्लेखित समस्त भूमियों (संलग्न सूची अनुसार) के निस्तारण (बेचान, अन्तरण, भेंट, सम्परिवर्तन, पट्टे जारी करना या अन्य किसी तरह से निस्तारण) पर रोक लगाई जाती है" तदनुरूप संबंधित रिकोर्ड (जमाबंदी) में नोट अंकित कर पालना सुनिश्चित करें।

28/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2022 कानून व तथ्यों के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर द्वारा जो आदेश दिनांक 28.04.2022 को पारित किया गया है, वह अपीलार्थी को बिना सुने पारित किया है इसलिये भी आदेश कानून के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश वर्ष 1997 के रेफरेन्स के आदेश के संबंध में तारीख अंकित कर रखी है किन्तु उक्त आदेश 11.07.1997 तो अन्य आदेश संभागीय आयुक्त व राजस्व मण्डल मे मर्ज हो चुका है और उस संबंध में माननीय अधीनस्थ न्यायालय किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से स्टॉप्ड है, इसलिये भी आदेश जैर अपील त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.02.2016 को समस्त कृषि भूमियाँ, जो सिवायचक थी और जो नगर विकास न्यास के क्षेत्र के अन्तर्गत आती थी उन्हें अपने राजस्व 111/2015/574–81 दिनांक 29.02.2016, 72 ग्रामों मे से 55 ग्रामों की 1027 खसरा नम्बरो की इकजाई सूची बनाकर नगर विकास न्यास व तहसीलदार लाडपुरा कोटा द्वारा 55 ग्रामों के 1027 खसरा नम्बरों की भूमि का प्रस्ताव नगर विकास न्यास कोटा को लगान की 40 गुणा राशि यानि 419814/– रूपये भू राजस्व मद 0029 में जमा कराने पर तहसीलदार लाडपुरा कोटा द्वारा सिवायचक भूमि को राजस्व वाद की अधिसूचना दिनांक 08.12.2010 के अनुसार संलग्न सूची अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 की सपठित धारा 102ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु नगर विकास न्यास कोटा को हस्तान्तरण की जाती है, का आदेश प्रदान कर दिया था और दिनांक 29.02.2016 के आदेश के खिलाफ आज तक किसी भी न्यायालय मे कोई अपील किसी भी व्यक्ति द्वारा नही की गई है और दिनांक 29.02.2016 का आदेश यथावत होने से एवं सभी भूमियां जो 29.02.2016 के आदेश से राशि जमा कराने के उपरान्त नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय स्वयं अपने आदेश के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित करने से स्टॉप्ड है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2022 निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सोमोटो आदेश दिनांक 28.04.2022 पारित किया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। जो भूमियां माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राशि जमा कराने के उपरान्त आबादी विस्तार हेतु नगर विकास न्यास कोटा को दी गई थी उन भूमियो पर कोलोनियां विकसित हो चुकी है और कोई भी भूमि समतल नहीं है और ना ही उन पर किसी प्रकार की कोई वर्तमान मे काश्त हो रही है और माननीय

28/5/2025

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील से कोटा के संपूर्ण विकास में रूकावट पैदा होगी, जो जनहित के विपरीत होने से भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 28.04.2022 जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश संख्या राजस्व/2022/4856 दिनांक 28.04.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.02.2016 को समस्त कृषि भूमियाँ, जो सिवायचक थी और जो नगर विकास न्यास के क्षेत्र के अन्तर्गत आती थी, उन्हें अपने राजस्व 111/2015/574–81 दिनांक 29.02.2016, 72 ग्रामों मे से 55 ग्रामों की 1027 खसरा नम्बरो की इकजाई सूची बनाकर नगर विकास न्यास व तहसीलदार लाडपुरा कोटा द्वारा 55 ग्रामों के 1027 खसरा नम्बरों की भूमि का प्रस्ताव नगर विकास न्यास कोटा को लगान की 40 गुणा राशि यानि 419814/– रूपये भू राजस्व मद 0029 में जमा कराने पर तहसीलदार लाडपुरा कोटा द्वारा सिवायचक भूमि को राजस्व वाद की अधिसूचना दिनांक 08.12.2010 के अनुसार संलग्न सूची अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 की सपठित धारा 102ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु नगर विकास न्यास कोटा को हस्तान्तरण की जाती है, का आदेश प्रदान कर दिया था और दिनांक 29.02.2016 के आदेश के खिलाफ आज तक किसी भी न्यायालय मे कोई अपील किसी भी व्यक्ति द्वारा नही की गई है और दिनांक 29.02.2016 का आदेश यथावत होने से एवं सभी भूमियां जो 29.02.2016 के आदेश से राशि जमा कराने के उपरान्त नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज हो चुकी है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर द्वारा जो आदेश दिनांक 28.04.2022 को पारित किया गया है, वह अपीलार्थी को बिना सुने पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश संख्या राजस्व/2022/4856 दिनांक 28.04.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

28/5/2025
सं. आयुक्त

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संज्ञान में आने पर ही उक्त आदेश दिनांक 28.04.2022 से व्यापक जनहित, राज्य सरकार के हित व उपर्युक्त विवेचन के आधार पर श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय दिनांक 11.07.1997 एवं विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के संदर्भ में उल्लेखित समस्त भूमियों (संलग्न सूची अनुसार) के निस्तारण (बेचान, अन्तरण, भेंट, सम्परिवर्तन, पट्टे जारी करना या अन्य किसी तरह से निस्तारण) पर रोक लगाई जाने का आदेश पारित किया गया। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील प्रस्तुत कर अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. पत्रावली का अवलोकन कर बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय के आदेश क्रमांक राजस्व/2014/3919 दिनांक 14.08.2014 की निरंतरता में जारी किया गया है। उक्त आदेश में उल्लेखित भूमि के संबंध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर, माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर, सिविल न्यायालयों व अन्य विभिन्न न्यायायलों में लंबित होने का कथन किया गया है। दिनांक 14.08.2014 के निर्णय से भी प्रकट होता है कि उक्त भूमियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रकरण लंबित होना प्रकट होता है। अपीलाधीन आदेश मुख्यतः सिलिंग प्रकरण से प्रभावित भूमियों पर रोक से संबंधित होना प्रकट होता है। जिसके संबंध में न्यायालयों में नियमित वाद लंबित होना भी प्रकट होता हैं। जिसका अपीलार्थी द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आवंटन आदेश दिनांक 29.02.2016 के संदर्भ में अपील प्रस्तुत की गई है। परंतु अपीलार्थी के द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि वह दिनांक 28.04.2022 के आदेश से किस प्रकार प्रभावित है। अपीलार्थी द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया कि उन्हें 2016 में आवंटित खसरों में से कौनसे खसरे सीलिंग से प्रभावित है। जिनके संदर्भ में दिनांक 28.04.2022 के आदेश से कार्य प्रभावित हुआ है। चूंकि

28/5/2025
सं. आयुक्त
कोटा

अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2022 के संदर्भ में नियमित वाद माननीय उच्च न्यायालय जयपुर, माननीय राजस्व मण्डल, सिविल न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों में लंबित होना प्रकट होता है तथा साथ ही अपीलार्थी के द्वारा अपील मीमों के तथ्यों को सिद्ध नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.04.2022 में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/5/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा